न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 61/2023 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2023/75**

1. सिकन्दर अली पुत्र मम्मीखां जाति मुसलमान निवासी सतासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, छतरगढ़।
2. मुख्तयारी पत्नि मम्मीखां जाति मुसलमान निवासी सतासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जयचंद सारस्वत — अभिभाषक अपीलांट
राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

निर्णय

दिनांक 13.10.2025

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 10.05.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— ग्राम सतासर का खसरा नंबर 621/422 तादादी 5.0580 हैक्टयर वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलांट को दानपत्र द्वारा हस्तांतरित की। जिसे उप पंजीयक कार्यालय छत्तरगढ़ में रजिस्टर्ड भी करवाया गया। उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर अपीलांट ने तहसीलदार के समक्ष अपने नाम इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार छत्तरगढ़ ने उक्त प्रार्थना-पत्र को आदेश दिनांक 10.05.2023 द्वारा खारिज कर दियां। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छत्तरगढ़ उक्त के आदेश दिनांक 10.05.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया है कि वादगत रकबा रजिस्टर्ड दानपत्र के द्वारा खातेदार माता मुख्तयारी द्वारा अपने सगे पुत्र सिकन्दर अली को दिया गया हैं जिस अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार छतरगढ़ ने दिनांक 29.03.2023 को ब-हैसियत उप पंजीयक इसे पजीयन किया। उक्त के आधार पर इंतकाल संख्या 1003 भरा गया है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि जिसमें लिखा है मुताबिक दानपत्र का नामान्तरकरण दर्ज कर पेश है जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट में अंकन है कि मिलान किया गया, अंकन सही है। जिस पर दोनों के हस्ताक्षर एवं मोहर लगाई हुई हैं तत्पश्चात अपीलांट से अन डयू एडवान्टेज हासिल करने की गर्ज से नामान्तरकरण प्रकियाधीन रखा गया। बाद में उक्त रिपोर्ट को बदलकर जैर नामांतरकरण का पेज बदलकर इसमें नया तथ्य जोड़कर इसे विवादित बताकर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिन्होने जानबुझकर धारा 37 आर.टी एक्ट के नियमों के विपरीत जाकर नामांतरकरण संख्या 1003 को दिनांक 10.05.2023 को अस्वीकृत कर दिया। तहसीलदार छत्तरगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई को मौका भी नही दिया। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा आदेश पारित कर दिया। इसलिए आदेश जैर अपील विधि एवं प्रक्रिया की घोर अनदेखी एवं त्रुटि हैं। जैर अपील आदेश को न्यायहित में अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के हक में स्वीकृत करने के आदेश जारी फरमावें एवं अन्य अनुतोष जो कानूनन देय ही अपीलांट के पक्ष में प्रदान करे।

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 10.05.2023 जारी कर अपीलांट के पक्ष में प्रक्रियाधीन नामांतरकरण संख्या 1003 दिनांक 19.04.2023 निरस्त कर दिया। उक्त प्रक्रियाधीन नामांतरकरण संख्या 1003 में पटवारी ने रिपोर्ट की है कि उक्त रकवा उपखण्ड अधीकारी, छत्तरगढ़ के आदेश क्रमांक 590 दिनांक 22.07.2022 के तहत जांच प्रक्रिया में है।। अतः उक्त नामांतरकरण निर्णय उपरांत दर्ज किया जाये। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार नामांतरकरण दर्ज नही किया जाना उचित हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4—हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वहस उभय पक्ष पर मनन किया। कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 10.05.2023 को उक्त वादगत भूमि का प्रक्रियाधीन नामांतरकरण संख्या 1003 को अस्वीकार कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छत्तरगढ़ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2023 पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2023 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छत्तरगढ़ उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर